

## बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
भू-अर्जन निदेशालय  
बिहार, पटना

### अधिसूचना

तारीख 03/12/2013

सं०.....आर०  
चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव - मरार सरगारा थाना नं० -16, परगाना- कुदुम्बा, थाना- नबीनगर, जिला- औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव- मरार सरगारा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो 15.1170 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एवं चौहद्दी निम्न प्रकार हैं :-

अधिकृत खेसरा सं० -

पूर्ण - 3/661, 138/735, 211, 212, 127/749 एवं 127/748

अंश - 01, 02, 152/738, 141, 135, 134, 136, 137, 152, 153/954, 180, 209, 210, 213, 182, 183, 184, 185, 180/747, 216/957, 420/966, 206/969

उत्तर :- ग्राम शिवनपुर, थाना नं०- 09

पूरब :- प्लॉट संख्या- 03, 19, 127 एवं 132

दक्षिण :- ग्राम- सिमरा दुसाध, थाना नं०- 23

पश्चिम :- प्लॉट 210, 211, 212, 213, 141, 152 एवं 154

यह अधिसूचना अधिनियम 1894 कि धारा 4 के उपबंधों के अधीन (यथा भू-अर्जन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है। समाहर्ता, औरंगाबाद भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना के संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे नवीनगर जेनरेटिंग पावर कारपोरेशन लि० पटना के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

  
समाहर्ता  
औरंगाबाद।

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।  
